

15⁰²/₂₂

आज पत्रावली पेश हुई। मूल दावा
अहम राजदी अहम पैरवी में खादिम
दिया जा चुका है। अलः शार्थना पत्र
212 RTI ACT को आगे चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। अलः शार्थना
पत्र इसी स्तर पर खादिम दिया जाता है।
शार्थना - पत्र मूल दावा के साथ संलग्न
है। पत्रावली फैलल शुमार होकर
नम्बर से इस होकर वासिल कर्षा है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0